

१४/१०/१७

पर कर्म छोड़ कर्यावाही आगे अपेक्षित नहीं है। इस
कारण वकील शर्मा द्वारा पत्रावली आदेशों पर
रिप्लायी अंकित की गई। वकील शर्मा को सूना गया।
वकील शर्मा के अनुसार पत्रावली में पालना पूर्ण की
जा चुकी है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर कोई कार्यवाही
अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः वकील शर्मा के
कम्पनो तथा अंकित रिप्लायी की स्वीकार कर पत्रावली
पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली
फैसल श्रुमार है। नम्बर से कम होकर दखिल
दफ्तर है।

↓
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)